

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103000312011

दांडिक प्रकरण क.-537/11

संस्थापित दिनांक-30.11.11

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>	
<b>विरुद्ध</b>	
01.मंगल सिंह पुत्र दीपचंद लोधी उम्र 25 वर्ष निवासी बढैरा 02.शेरसिंह पुत्र दीपचंद लोधी उम्र 21 वर्ष निवासी बढैरा 03.रूपसिंह पुत्र निर्भयसिंह लोधी उम्र 36 वर्ष निवासी बढैरा 04.तुलाराम पुत्र थोबन लोधी उम्र 38 वर्ष निवासी बढैरा 05.घनश्याम सिंह पुत्र गनपत सिंह लोधी उम्र 50 वर्ष निवासी बढैरा 06.कप्तान सिंह पुत्र बाबूसिंह यादव उम्र 30 वर्ष निवासी बढैरा। <div>.....आरोपीगण</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री गौरव जैन अधिवक्ता।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 08.03.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 431, 341, 294, 506, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 294, 341, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 431 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी राजेंद्र सिंह ने दिनांक 18.03.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को जब वह अपने खेत पर जा रहा था तो रास्ते में गांव के मंगल, शेरसिंह, रूपसिंह, घनश्याम, तुलाराम खड़े होकर हिटैची जमीन से कप्तान यादव के कुंआ खुदवा रहे थे। उसने कप्तान, शेरसिंह, मंगल से कहा कि यदि वे कुंआ खुदवा देंगे तो वह अपने खेत पर कैसे जाएगा। तो उक्त लोग नहीं माने। कप्तान बोला कि वह तो कुंआ खोदेगा उसे कोई नहीं रोक सकता तथा घनश्याम, रूपसिंह, तुलाराम बोले मादरचोद, बहनचोद को

पकड़ लो आज निपटाए देते हैं। तब मंगल व शेरसिंह ने उसे पकड़ लिया व सभी ने उसे बुरी-बुरी मां-बहन की गालियां दीं व बोले कि आज तो छोड़ देते हैं आइंदा मिला तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 131/11 के अंतर्गत भादवि की धारा 431, 341, 294, 506, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 341, 294, 506बी, 431 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 17.03.11 को समय दोपहर 2 बजे ग्राम बडैरा के हार रास्ते में फरियादी राजेंद्र सिंह जिस स्थान से आता-जाता है उस लोकमार्ग पर कुंआ खोदकर परिवादी को नुकसान कारित करने के आशय से रिष्टि कारित की एवं उक्त कृत्य सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में किया ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 राजेंद्र सिंह, अ.सा. 02 नारायण सिंह, अ.सा. 03 सरदार सिंह, अ.सा. 04 गोविंद दास, अ.सा. 05 जे बी एस तोमर की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। आरोपीगण की ओर से आरोपी मंगल सिंह की धारा 315 दप्रस के अंतर्गत साक्ष्य प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 राजेंद्र सिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को सभी आरोपीगण गांव के लिए गए हुए रास्ते पर कुंआ खोद रहे थे। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण मिट्टी खोदने वाली मशीन से कुंआ खोद रहे थे तथा उसके द्वारा रोकने पर आरोपीगण ने उसे गालियां दी थीं। अ.सा. 01 के अनुसार घटनास्थल पर उसके अलावा घनश्याम, सरदार, नारायण और गोविंददास भी थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसने रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अ.सा. 01 के अनुसार पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी 01 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अ.सा. 02 नारायण सिंह ने भी अपने कथन में बताया है कि वह सभी आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटनास्थल पर रास्ता है जो कि उसके एवं अन्य लोगों के खेत पर गया है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपीगण चैन वाली मशीन से उक्त रास्ते पर कुंआ खोद रहे थे। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि राजेंद्र सिंह ने कुंआ खोदने से मना किया था और तब आरोपीगण ने गालियां दी थीं। अ.सा. 03 सरदार सिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपीगण रास्ते पर कुंआ खोदने की मशीन चलवा रहे थे। अ.सा. 03 के अनुसार राजेंद्र सिंह ने जब उन्हें रोका तब आरोपीगण ने गालियां दी थीं।

09— अ.सा. 04 गोविंद दास पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण मशीन से कुंआ खोद रहे थे। उक्त साक्षी ने घटना की कोई जानकारी न होना व्यक्त किया है। अ.सा. 05 जे बी एस तोमर मामले का विवेचक है। उक्त साक्षी ने

अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में विवेचना के दौरान नक्शामौका प्रपी 02 तैयार किया गया था तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपीगण को प्रपी 04 के अनुसार गिरफ्तार किया था। उक्त साक्षी ने प्रपी 04 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसे कोई कथन नहीं दिए।

10— अ.सा. 01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने पुराने रास्ते पर अवरोध पैदा न हो, इसके लिए आवेदन दिया था। उक्त साक्षी के अनुसार सभी लोग रास्ते पर दूसरे की मेढ से निकल रहे हैं। अ.सा. 02 ने भी अपने कथन में बताया है कि वे लोग वर्तमान में इसी रास्ते से निकल रहे हैं एवं अ.सा. 03 के अनुसार वर्तमान में विवादित रास्ता चालू नहीं है, किंतु उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी बताया है कि रास्ते पर कुंआ आरोपीगण ने खुदवाया था। आरोपीगण की ओर से बचाव के रूप में आरोपी मंगलसिंह ने स्वयं की साक्ष्य प्रस्तुत की है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने तथा अन्य आरोपीगण ने सरकारी रास्ते पर कुंआ नहीं खोदा और न ही फरियादी ने ऐसा करने से मना किया। उक्त साक्षी के अनुसार उसका फरियादी से जमीन का विवाद छः वर्षों से चला आ रहा है और उक्त साक्षी के अनुसार फरियादी से जो उसका विवाद चला था वह रास्ते के उपर से चला था।

11— अभियोजन एवं आरोपीगण की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अ.सा. 01 लगायत अ.सा. 03 ने स्पष्ट रूप से अपने कथनों में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा घटनास्थल पर मशीन से कुंआ खोदा जा रहा था। अ.सा. 01 की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा जब कुंआ खोदने से मना किया गया तब आरोपीगण द्वारा गाली गलौच की गई। उक्त तथ्य का अनुसमर्थन अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 की साक्ष्य से हो रहा है। उल्लेखनीय है कि अ.सा. 01 लगायत अ.सा. 03 की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा झूठा मामला प्रस्तुत किया गया है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि आरोपीगण की ओर से बचाव साक्ष्य में यह बचाव लिया गया है कि उनका फरियादी पक्ष से रास्ते को लेकर पुराना विवाद चल रहा है और इसी कारणवश फरियादी द्वारा उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। आरोपीगण की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उससे यह स्पष्ट है कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य रास्ते को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि मात्र इस आधार पर कि रास्ते को लेकर पुराना विवाद लंबित है, यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि अभियोजन द्वारा झूठा मामला प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि उक्त घटनास्थल आम रास्ता है जिसे गांव के सभी व्यक्ति उपयोग में लाते हैं। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त रास्ता लोक रास्ता है जिस पर कुंआ खोदकर आगम्य को प्रभावित किया गया।

12— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा लोक सड़क पर कुंआ खोदा गया जिससे रिष्टि कारित हुई एवं जिससे आगम्य प्रभावित हुआ। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 431 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

13— आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपीगण एवं उनके

अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चन्देरी जिला-अशोकनगर

**पुनश्च:-**

14- आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव जैन का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है। आरोपीगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए यदि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

15- जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि उनके द्वारा उक्त अपराध पुनः कारित किया जाता है तो वह न केवल गंभीर अपराध है, बल्कि उन्हें उसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखना उचित होगा कि आरोपीगण का फरियादी से मामले में राजीनामा हो गया है। आरोपीगण का पूर्व कोई आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपीगण को भादवि की धारा 431 के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण 3-3 दिवस का साधारण कारावास भोगेंगे।

16- आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

17- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

18- आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)